राजनीतिक संगठन

① प्राचीन आर्य वस्तुत: पशुपालन युग से गुजर रहे थे और उन्होंने कोई ऐसा ढाँचा खड़ा नहीं किया था जिसकी तुलना किसी पुराने राज्य अथवा आधुनिक राज्य से की जा सके कबीलाई संस्था के रूप में राज्य तंत्र का प्रचलन था राजा मुख्यत: एक फौजी नायक माना जाता था और वह गायों के लिए युद्ध करता था, क्षेत्रों के लिए नहीं वह किसी निश्चित भू भाग पर शासन नहीं करता था बल्कि अपने कबीले (जन) पर शासन करता था ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार प्रयोग किया गया है लेकिन जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है केवल एक बार राज्य शब्द का

प्रयोग किया गया है और वह भी ऋग्वैदिक काल के अंतीम दिनो मे जब क्षेत्रीय राजतंत्र का उदभव हुआ और राजा को राष्ट्र का उन्नायक मान लिया गया

2.) ऋग्वैदिककाल के लोगो का प्रशासनीक व्यवस्था कबीलायी राजतन्त्र था और कबीले का प्रधान ही शासन तन्त्र का प्रधान होता था।

3.) शासन तन्त्र का प्रधान राजा होता था राजा को "राजन" कहा जाता था फिर भी राजा का अधिकार असिमित नही था क्योकि उन्हे अनेक कबीलाई संगठनो की सलाह मानली पड़ती थी इसे इस बात का अभास मिलता है कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी कबीलायी संस्थाए सभा और समिति न्यायिक और राजनीतिक कार्यो का सम्पादन करती थी और बहुत अंशो तक राजा के अधिकार पर रोक लगाती थी राजा ही कबिलाओं की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था, मवेशी की रक्षा करता था और युध लड़ता था।

नोट (i) राजा को कबीले का गोप्ता जनस्य अर्थात रक्षक कहा जाता था

(ii) राजा को पुरभेत्ता - अर्थात नगरो पर विजय प्राप्त करने वाला कहा जाता था।

(iii) ऋग्वैदिक काल के राजा का पद अनुवांशिक हो चला था लेकिन एक परिवार के तीन पिढ़ीयों से अधिक राज्यारोहण का क्रम जारी नही था।

(iv) उस समय राजा भूमी का राजा नही होता था बल्कि आदमीयों का राजा होता था

4. ऋग्वैदिक काल के अनेक कबिलायी संगठन थे जिनमे सभा, समिति, विदथ और गण प्रमुख थे इन संगठनो मे सभा एवं समिति महत्वपूर्ण थे जिसका समर्थन पाने के लिए राजा भी लालायीत रहता था। ये समितियाँ सैनिक, धार्मिक, वैचारिक

एवं प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख करती थी

नोट (i) आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदथ थी
(ii) सभा और समिति के महत्वपुर्ण समिति थी क्योंकि यह राजा को चुनती थी
(iii) स्त्रीयां भी सभा और विदथ मे भाग लेती थी

5. सभा और समिति का संगठन कैसे होता था और इन दोनो के क्या अन्तर था इसके सम्बन्ध मे हमे सुनिश्चित रूप से कुछ ज्ञात नही है बहुत सम्भव है कि समिति मे सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व हो और वह मुख्यतः राजनीतिक कार्यों से सम्बन्धित थी सभा के स्वरूप कुछ राजनीतिक था और वह अभिजात्य वर्गीय व्यक्तियों की एक सिमित संस्था जान पड़ती थी जिन ऋचाओं मे उनका उल्लेख हुआ है उनमे से अधिकांश से स्पष्ट जान पड़ता है कि शासन के इन संस्थाओं का बहुत अधिक महत्व अधिकार था और वे राजा के निरंकुश अधिकार पर एक नियंत्रण का काम करती थी इन संस्थाओं मे राजनीतिक विषयों पर खुलकर विचार विमर्श होता था और प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता था की अन्य सभी व्यक्ति उनकी बात स्वीकार करे परन्तु सब कुछ होते हुए इनका यह भी आदर्श था कि सभा के विभिन्न सदस्य एक मत से कार्य करें

नोट (i) सभा को "नरिष्ठा" भी कहा जाता था
(ii) समिति के अध्यक्ष को "ईशान" कहा जाता था"

6. कबीले छोटे छोटे इकाईयों मे बटा हुआ था जिसे ग्राम कहा जाता था प्रत्येक ग्राम के परिवार मे बसते थे जब लोगो ने धीरे धीरे खानाबदोश जीवन का त्याग किया और खेती करने लगे तब ग्राम बडे होने लगे और कई ग्रामो को मिलाकर "विश" कहलाने लगे।

जो एक कबीले के समान था।

नोट ① ऋग्वेद मे विश शब्द का उल्लेख 170 बार आया है विश का अनुवाद गोत्र या clane भी किया जा सकता है

(ii) ऋग्वेद की एक पुरानी ऋचा मे दो जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बतायी गयी है जिससे परिलक्षित होता है कि किसी जन मे सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 100 से अधिक नही रहती होगी।

7. राजा की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ——

(i) पुरोहित – पुरोहित सबसे प्रमुख अधिकारी होता था जो राजा को उनके कर्तव्यो का उपदेश देता था तथा राजा का गुणगान करता था ऋग्वैदिक काल मे विश्वमित्र और वशिष्ठ प्रमुख पुरोहित थे एक तरह से पुरोहित राजा का पथ प्रदर्शक, मित्र, एवं दार्शनिक का कार्य करता था

नोट ⓘ पुरोहित को दक्षिणा मे गाय और दास दिये जाते थे और वह भी मुख्यतः दासी जमीन दान देने का उल्लेख नही मिलता है।

(ii) सेनानि – यह सेना नायक था तथा सैनिक अभियानो मे राजा की सहायता करता था, यह भाला, कुठार और अस्त्रो को चलाने मे निपुण होता था।

(iii) पुरूप > यह दुर्ग पती होता था तथा सैनिक कार्य भी करता था।

(iv) स्पष > गुप्तचरो को इसी नाम से जाना जाता था

(v) दुत या पालागत > यह राजनीतिक गतिविधियो पर दृष्टि रखता था।

(vi) ब्राजपती > गोचर भूमी के अधिकारियों को ब्राजपती कहा जाता था जो चरागाहों की देख भाल करता था।

(vii) कुलप > परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था जिसे दम्पती भी कहा जाता था। (कुलपा भी कहा जाता था)

(viii) ग्रामणि > छोटी सी कबीलाई लड़ाकु टोली को मुखिया को ग्रामणि कहा जाता था।

नोट ① बाद मे जब लोग स्थिर वासी हो गये तब ग्रामणि सारे गाँव का मुखिया हो गया और वही ब्राजपती हो गया।

(ii) ब्राजपती – चारागाह या बडे जत्थे का प्रधान।

8. उस समय कोई भी कर संग्रह करने वाले अधिकारी की चर्चा नही मिलती है अर्थात उस समय कर नही वसुल की जाती थी लोग स्वेच्छा से अपना कुछ हिस्सा राजा को दे देते थे। जिसे बली या चढ़ावा कहा जाता था।

9. ऋग्वैदिक काल मे कोई भी न्यायिक पदाधिकारी का उल्लेख नही मिलता है लेकिन ऐसा भी नही था की समाज आदर्श वादी था। चोरियाँ एवं सेंधमारियाँ हुआ करती थी

चोरी या अस्थतः गायों को हुआ करती थी पशु चोरी गम्भीर अपराध माना जाता था और इसे रोकने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे

नोट ① उग्र नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है जो अपराधि को पकड़ता था

10. V.V.g राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था बल्कि युद्ध के समय स्वजनों की सेना (मिलिशिया) संगठित कर लेता था
व्रात, गण, ग्राम और सर्ध नाम से विविध विभिन्न कबीलाई टोलियां लड़ाई लड़ती थी